परिपत्र सं. 2/2022 14.03.2022

विषय: निर्यात विकास एवं संवर्धन योजना- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सी आर ई एस शुल्क की प्रतिपूर्ति- सी आर ई एस में श्रेणी के संशोधन के लिए प्रावधान-बाबत

इसका संदर्भ निर्यात विकास एवं संवर्धन घटक के अंतर्गत स्पाइसेस बोर्ड की योजना है जो मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सी आर ई एस के पंजीकरण शुल्क की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, बशर्तेकि अधिकतम 11,250 (जी एस टी के अलावा) रुपए हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जिसमें सिक्किम एवं दार्जिलिंग क्षेत्र शामिल हैं) एवं अन्य हिमालयी राज्य /जम्मू एवं कशमीर एवं लद्दाक, आई टी डी पी क्षेत्र अधिसूचित राज्य एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप के संघ-शासित क्षेत्र) के पंजीकृत निर्यातक, एफ पी ओ निर्यातक एवं **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के निर्यातक को प्रदान किया जाएगा।

निम्नलिखित निर्यातकों को **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी** के अंतर्गत माना जाएगा

क) स्वामी प्रतिष्ठानों के मामले में, स्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होना चाहिए।

ख) साझेदारी फर्म के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साझेदार के पास इकाई के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।

ग) प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों/सीमित देयता साझेदारी/कृषक उत्पादक कंपनियों के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निदेशक/संप्रवर्तक द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होगा। भागीदार/निदेशक/संप्रवर्तक के पास वित्तीय सहायता के आवेदन के एक वर्ष पूर्व के लिए इकाई में कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति साझेदार/ संप्रवर्तक/निदेशक के शेयर पूंजी वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के कम से कम दो वर्ष की अवधि के बाद न्यूनतम 51 प्रतिशत पर रहेगी। इसके संबंध में, भुगतान जारी करने से पहले आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत किया जाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों के मामले में, योजना के तहत सहायता उबलब्ध होने की प्राथमिक अपेक्षा यह है कि श्रेणी स्पाइसेस बोर्ड के सी आर ई एस प्रणाली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में दिखाई देगी। अगर सी आर ई एस प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते वक्त श्रेणी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो अब संशोधन के लिए एक प्रावधान उपलब्ध है जो नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त है;

https//indianspices.org.in/ CRES new/e-r-o/exporters-registrston/amendment/category.php

संशोधन के बाद योजना के लिए आवेदन संबंधित प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत कर सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आने वाले सभी पात्र निर्यातक साथ ही साथ उत्तरपूर्वी क्षेत्र एवं अन्य हिमालयी राज्य/ जम्मू एवं कशमीर एवं आई टी डी पी क्षेत्र अधिसूचित राज्य एवं द्वीप के निर्यातकों एवं एफ पी ओ निर्यातकों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दैरान मसाले निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस)के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने का आग्रह किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों के मामले में, आवेदन प्रस्तुत करने से पहले फर्म यह सुनिश्चित करें कि यह श्रेणी स्पाइसेस बोर्ड के सी आर ई एस प्रणाली में सही रूप से दिखाई देती है।

योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध होने के लिए आवेदन पत्र एवं दिशा-निर्देश संलग्नक-1 के रूप में संलग्न किया है।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,
मसाले एवं मसाले उत्पादों के सभी निर्यातक
(फाइस सं. विपणन-ई डी टी/ई एफ सी/योजनाएँ-विपणन 18989 से जारी)

स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
सुगंध भवन
कोच्ची : 682025
मेल : marketing.schemes-sb@gov.in, dm.sb-ker@gov.in

प्रपत्र सं.विपणन-एस बी/टी पी-सी आर ई एस

मसालों का निर्यात विकास एवं संवर्धन

"सी आर ई एस शुल्क की प्रतिपूर्ति"

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

भाग 1- सामान्य जानकारी

1.	स्पाइसेस बोर्ड पंजीकरण सं:	
2.	आयात निर्यात कोड	
3.	संगठन/कंपनी का नाम (सी आर ई एस के अनुसार)	
4.	संगठन/कंपनी की प्रकृति	स्वामित्व/एलएलपी/साझेदारी/प्राइवेटलिमिटेड/ पब्लिक लिमिटेड/ को-ऑप-सोसाइटी/एफपीओ/ एचयूएफ
5.	निर्यातक की स्थिति	एमएसएमई / गैर एमएसएमई स्टार निर्यात हाउस
6.	स्वामित्व की श्रेणी	अनु.जाति / अनु. जन जाति महिला उद्यम अन्य
7.	संबंधित पदधारी का नाम एवं पद, पूरा पता संपर्क विवरण के साथ	नाम : पदनाम : पता : पीआईएन: टेली.: (एसटीडी कोड सहित) : ई-मेल आईडी : मोबाइल नंबर :

		वेबसाइट
8.	सी आर ई एस श्रेणी	व्यापारी/विनिर्माता
9.	बैंक खाता विवरण: 1) बैंक का नाम	
	2) खाता धारक का नाम	
	3) चालू खाता सं.	
	4) आई एफ एस सी सं.	
	5) शाखा का स्थान	
10.	निर्यात के प्रमुख मसाला	
11.	क्या इस फर्म नियमित रूप से तिमाही निर्यात रिपोर्ट प्रस्तुत करता है	जी हाँ / नहीं (लंबित विवरणी, यदी कोई है तो, ऑनलाइन में योजना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले जमा किया जाएगा।)

भाग 2 -सी आर ई एस शुल्क की प्रतिपूर्ति

1.	निर्यातक की श्रेणी (कृपया सही का निशान लगाएँ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एफ पी ओ उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सिक्किम एवं दारजीलिंग क्षेत्र सहित) हिमालयी राज्य आई टी डी पी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राज्य एवं द्वीप (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज क्षेत्र) अन्य
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातक के मामले में, जैसा लागू हो, उसके अनुसार मार्क करें क) स्वामी प्रतिष्ठान के लिए, स्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है ख) साझेदारी फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों/ सीमित देयता साझेदारी/कृषक उत्पादक संगठनों	 हाँ/नहीं

	के मामले में, क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भागीदार/निदेशक/संप्रवर्तक को कम से कम वित्तीय सहायता के लिए आवेदन तारीख के एक वर्ष पहले फर्म का 51 प्रतिशत शेयर है	हाँ/नहीं
3.	अनुलग्नक	1) सी आर ई एस प्रति 2) भाग 1 में क्रमांक 2 के सबूत के रूप में एम ओ ए/ए ओ ए 3) स्वामी/भागीदार/निदेशक/संप्रवर्तक के लिए श्रेणी का सबूत 4) अन्य

<u>घोषणा</u>

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते/करती हैं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच एवं सही है।

मैं/हम तदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते/करती हैं कि मैं/हम सी आर ई एस शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए योजना को ध्यान से देखा और इसमें निहित सभी निबंधन व शर्तों और बाद में बोर्ड द्वारा अनुबंध की जाने वाली कोई आवश्यकताओं का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातक के मामले में) मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते/करती हैं कि स्वामी (सवामित्व के मामले में) एवं साझेदार/निदेशक/संप्रवर्तक (साझेदारी फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों/सीमित देयता साझेदारी/कृषक उत्पादक संगठनों के मामले में), ने आवेदन के बाद एक वर्ष फर्म में 51 प्रतिशत शेयर रखते हैं और आगे वचन दें कि शेयर पूंजी वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के बाद कम से कम दो वर्ष अवधि के लिए 100 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामी के लिए) और कम से कम 51 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भागीदार/संप्रवर्तक/निदेशक के लिए) पर होगी।

मैं/हम पूरी तरह से समझता/समझती हूँ/समझते/समझती हैं कि अगर प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय में झूठी पाई गई तो, बोर्ड को हमारे खिलाफ उचित कार्रवाई करने और साथ में हमें भविष्य में किसी सहायता उपलब्ध होने से रोकने का अधिकार है।

दोषी पाए जाते हैं तो हम वचन देते हैं कि मांग की जाने पर स्पाइसेस बोर्ड को इस आवेदन के अनुसरण में प्राप्त हुई सहायता की पूरी राशि बोर्ड द्वारा तय किए ब्याज के साथ वापस चुकाऊँगा/चुकाउंगी/चुकाएँगे।